न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी :– देवी सिंह (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	प्रारम्भिक आदेश दिनांक
1/67	20.05.2024	08.08.2024

बउनवान

1.सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति–बलाई, आयु 46 वर्ष, निवासी ए–139, मालवीय नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान

2.गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री बनवारीलाल आयु 40 वर्ष जाति–बैरवा, निवासी–सारंगपुरा तहसील –मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1.रामोतार पुत्र स्वर्गीय छगनलाल आयु लगभग 42 साल, जाति–भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

2.गीता पत्नी फूल (पुत्री स्वर्गीय छगनलाल) आयु लगभग 44 साल, जाति– भंगी, निवासी बसवा, तहसील बसवा, जिला–दौसा, राजस्थान

3.प्रमा पत्नी अशोक (पुत्री स्वर्गीय छगनलाल) आयु लगभग 45 साल, जाति– भंगी, निवासी खदाना मौहल्ला, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान

4.जीतू पुत्र स्वर्गीय पाचूराम आयु लगभग 35 साल, जाति भंगी, निवासी बीजवाड़,तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

5.मंगद पत्नी स्वर्गीय पाचूराम आयु लगभग 59 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

6.खिल्लू पुत्र स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 40 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

7.अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 42 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

8.लिछमी पत्नी रविकान्त (पुत्री स्वर्गीय रतनलाल) आयु लगभग 25 साल, जाति– भंगी, निवासी खुदनपुरी, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान

9.ऊगन्ती पत्नी स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 60 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

10.श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी), तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

11.श्रीमान उप् पंजीयक, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान।

12.श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा ईश्तकरारहक मय तकासमा मय हुक्म ईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

—:प्रारम्भिक निर्णय:—

वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नंबर हाल 2386 रकबा 0.0100 है0, किस्म गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 2387 रकबा 0.4600 है0 किस्म बारानी –प्रथम, खसरा नंबर 2388 रकबा 0.3600 है0 किस्म बारानी–प्रथम, कुल किता 3 कुल रकबा 0.8300 है0, वाके ग्राम बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, वादीगण एवं प्रतिवादीगण की सहखातेदारी की आराजी है। उक्त विवादित कुल आराजी में से वादी संख्या–1 का 3/22 हिस्सा तथा वादी संख्या–2 का 4/11 हिस्सा है अर्थात कुल आराजी में 1/2 हिस्सा वादीगण का कब्जे काश्त खातेदारी का है तथा कुल आराजी का 1/2 हिस्सा समस्त प्रतिवादीगण का (उनके अपने– अपने विभिन्न हिस्सानुसार) हैं।

जमाबन्दी में खातेदारों के रूप में वादीगण के अतिरिक्त छगनलाल पुत्र मुल्या हिस्सा 1/6, पाचूराम पुत्र मुल्या हिस्सा 1/6, रतनलाल पुत्र मुल्या का नाम अंकित है। जबकि उक्त छगनलाल पुत्र मुल्या हिस्सा, पाचूराम पुत्र मुल्या हिस्सा, रतनलाल पुत्र मुल्या के मृतक होने से इनके वारिसानो को दावे में प्रतिवादीगण के रूप में अंकित किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बहमी बंटवारा कर रखा है और इस आपसी सहमति से बहमी बंटवारे के अनुसार कुल आराजी रकबा 0.8300 हेक्टेयर में से दोनों वादीगण के कुल 1/2 हिस्से में आराजी खसरा नम्बर 2388 रकबा 0.3600 हेक्टेयर संपूर्ण तथा आराजी खसरा नम्बर 2387 रकबा 0.4600 हेक्टेयर में से रकबा 0.0500 हेक्टेयर जो खसरा नम्बर 2388 की दक्षिणी सीमा से लगता हुआ है आया है (अर्थात रकबा 0.4100 हेक्टेयर)। तथा समस्त प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 के कुल 1/2 के लिए आराजी खसरा नम्बर 2387 रकबा 0.4600 हेक्टेयर में से शेष बचा रकबा 0.4100 हेक्टेयर आया है। और आराजी खसरा नम्बर 2386 रकबा 0.0100 गै. मु चाह होने से अविभाजित होने से सम्मिलित रूप से रखा जाना तय हुआ है। इसके पश्चात वादीगण ने अपने हिस्से में आये खसरा नम्बर व रकबा का आपसी सहमति से वादी संख्या–1 व वादी संख्या–2 ने आपसी सहमति से बहामी बंटवारा इस कि इनके हिस्से में आये सम्मिलित कुल रकबे 0.4100 हेक्टेयर (आराजी खसरा नम्बर 2386 रकबा 0.0100 गै. मु. चाह के अतिरिक्त) में उत्तर–पश्चिमी तरफ का हिस्सा वादी संख्या–1 का तथा उत्तर–पूर्वी तरफ का हिस्सा वादी संख्या–2 का उनके अपने–अपने हिस्से के अनुसार रहेगा। और इसी प्रकार से वादी संख्या–1 ने अपने हिस्से के पूर्ण रकबे पर ईंट–पत्थरों से दीवार बना रखी है, पौधे लगा रखे हैं और अपने हिस्से को पृथक व सुरक्षित कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं। इस सम्बन्ध में वादीगण में कोई विवाद नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा भी इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति नहीं रही। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बहामी बंटवारा कर रखा है और इस आपसी सहमति से बहमी बंटवारे के अनुसार नपत कर मौके पर काबिज काश्त हैं। वादी संख्या–1 ने अपने हिस्से के पूर्ण रकबे पर ईंट–पत्थरों से दीवार बना रखी है, पौधे लगा रखे हैं और अपने हिस्से को पृथक व सुरक्षित कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं तथा वादी संख्या–2 ने वादी स.–1 के ईंट–पत्थरों की दीवार से तथा समस्त प्रतिवादीगण के (दक्षिणी दिशा तरफ के) 1/2 हिस्से की सीमा पर तार फेंसिंग व ईंट–पत्थरों की दीवार निर्माण कर, पौधे लगाकर अपना हिस्सा पृथक व सुरक्षित कर शांतिपूर्वक काबिज काश्त हैं। कुछ प्रतिवादीगण भी अपने हिस्से में आवास बना कर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमति से बहमी बंटवारा कर रखा है और इस आपसी सहमति से बहामी बंटवारे के अनुसार नपत कर मौके पर काबिज काश्त हैं, परन्तु राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं करवाया हुआ है, जो कि एक वैधानिक आवश्यकता है। वादीगण ने प्रतिवादीगण को जब सहमति से बहमी बंटवारा के अनुसार ही तहसील मालाखेड़ा में चलकर रिकार्ड में बंटवारा करवाने हेतु कहा तो पहले वे इस कार्य के लिए सहमत रहे और आजकल में चलने का कहते रहे। परन्तु दिनांक 12/05/2024 को उन्हें बंटवारे के बारे में पुनः कहने पर यह कहते हुए इन्कार कर दिया कि अभी हम वारिसान के नाम विरासत इंतकाल दर्ज नहीं हुआ है और हम घरेलू विवाद के कारण फिलहाल विरासत नामान्तरणकरण की कार्यवाही करवाने में इच्छुक नहीं हैं, और सहमति से सभी का तहसील पहुँचकर बंटवारा करवाना अब उनके लिए संभव नहीं है। प्रतिवादी स.–4 ने अभद्र व्यवहार करते हुए झगड़ा फसाद पर आमादा हो गया और उग्रतापूर्ण रवैये से मौके पर यह भी ऐलानिया तौर पर धमकी दी कि मेरा और प्रतिवादी स.–1 का अन्य भूमि के संबंध में पारिवारिक विवाद हैं इसलिए मैं अकेला ही प्रतिवादीगण के

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

संपूर्ण 1/2 हिस्से की आराजी पर मनमर्जी की जगह पर कब्जा करके रहूंगा इसके लिए चाहे मुझे लड़ाई झगड़ा करके जेल भी जाना पड़े। यह भी धमकी दी है कि वादीगण के कब्जे के निर्माण को तोड़कर उस पर भी अनाधिकृत कब्जा कर लूंगा, मैं किसी से नहीं डरता और मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड सकता, मैं इस पर मनमर्जी से निर्माण करूंगा, गलत तरीके के लोगों को यह पूरी आराजी बेच कर कब्जा करवाकर सब को परेशान कर दूंगा इत्यादि इत्यादि। इसका साथ कुछ अन्य प्रतिवादीगण भी तत्समय देने लगे। जबकि वास्तविकता यह हैं कि वादीगण के वर्तमान कब्जे के संबंध में प्रथमतः सहमति इसी प्रतिवादी स.–4 द्वारा दी गयी थी। वादी संख्या–1 राज्य सरकार की सेवा में है तथा शांतिप्रिय और कानून में विश्वास रखने वाला व्यक्ति है। वादी संख्या 2 भी अन्य ग्राम निवासी व गरीब काश्तकार है जो विवाद से दूर रहना चाहता है इसलिए कानूनन बंटवारा अत्यन्त आवश्यक है। मुताबिक जमाबन्दी विवादित आराजी कुछ पक्षकारों द्वारा बैंक के पक्ष में रहन दर्ज है इसलिए प्रतिवादी संख्या 12 की जद में श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान का पक्षकार बनाया गया है। वाद वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जाये।

वादी/प्रतिवादी व आया हिस्सा कुल रकबा में से	आराजी खसरा नंबर 2386 रकबा 0.0100 गै0मु0चाह के अलावा कुल रकबा 0.8200 में से आया रकबा (हैक्टेयर)	हिस्से में आया		विशेष विवरण
		आराजी खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर में)	
वादी संख्या–1 हिस्सा 3/22	0.1119	2388	0.0982	आ.ख.नं. 2388 का दिशा उत्तर–पश्चिमी तरफ भाग
		2387	0.0137	आ.ख.नं. 2387 का दिशा उत्तर–पश्चिमी तरफ का भाग जो आ.ख.नं. 2388 का उत्तर–पश्चिमी तरफ का भाग के लगता हुआ है।
वादी संख्या–2 हिस्सा 4/11	0.2981	2388	0.2618	आ.ख.नं. 2388 का दिशा उत्तर–पूर्वी तरफ का भाग
		2387	0.0363	आ.ख.नं.2387 का दिशा उत्तर–पूर्वी तरफ का भाग जो आ.ख.नं. 2388 का दिशा उत्तर–पूर्वी तरफ का भाग के लगता हुआ है।
समस्त प्रतिवादीगण हिस्सा 1/2	0.4100	2387	0.4100	आ.ख.नं. 2387 का नीचे का दिशा दक्षिण की तरफ का भाग
नोटः– आराजी खसरा नंबर 2386 रकबा 0.0100 गै0मु0 चाह को समस्त वादीगण व प्रतिवादीगण 01 लगायत 09 के शामलाती खातेदारी में रखा गया है।				

कि वादीगण व प्रतिवादीगण इसी प्रकार से विवादित आराजी पर काबिज है और इसी प्रकार हिस्सा व वास्तविक कब्जानुसार ईश्तकरारहक व तकासमा कराकर अलग से कुरेंजात कायम करने व अलग से लगान खाता कराकर इसी अनुसार डिक्री प्राप्त करने के अधिकारी है।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण जर्ये रजि0सम्मन तलब किये गये। प्रतिवादीगण बाउजूद रजि0तामील उपस्थित नही होने पर उनके विरुद्व एकतरफा कार्यवाही की गई। हमने वादी को सुना वाद प्रारम्भिक डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः वाद वादी इस प्रकार प्रारंभिक डिक्री किया जाता है किं विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2386 रकबा 0.0100 है0, किस्म गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 2387 रकबा 0.4600 है0 किस्म बारानी –प्रथम, खसरा नंबर 2388 रकबा 0.3600 है0 किस्म बारानी–प्रथम, कुल किता 3 कुल रकबा 0.8300 है0, वाके ग्राम बीजवाड का बाई मिटस एंड बाउंड रास्ते के प्रावधान को ध्यान में रखते हुए कुर्रेजात कायम कर कुर्रेजात रिपोर्ट बैरंग सुखी से दर्शाते हुए पेश करें। तहसीलदार मालाखेड़ा को अहकाम जारी हो। पत्रावली दिनांक 29.08.2024 को पेश हो।

(देवी सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

डिक्री व मुकदमा इतबदाई

आ0 2 रू0 6–7 जाब्ता दीवानी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मालाखेडा,जिला अलवर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :– देवी सिंह (आर.ए.एस)

दावा संख्या	दायर दिनांक	अन्तिम डिक्री
1/67	20.05.2024	29.08.2024

बउनवान

1.सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र श्री हनुमान प्रसाद, जाति–बलाई, आयु 46 वर्ष, निवासी ए–139, मालवीय नगर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर, राजस्थान

2.गिर्राज प्रसाद पुत्र श्री बनवारीलाल आयु 40 वर्ष जाति–बैरवा, निवासी–सारंगपुरा तहसील –मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

वादीगण

बनाम

1.रामोतार पुत्र स्वर्गीय छगनलाल आयु लगभग 42 साल, जाति–भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

2.गीता पत्नी फूल (पुत्री स्वर्गीय छगनलाल) आयु लगभग 44 साल, जाति– भंगी, निवासी बसवा, तहसील बसवा, जिला–दौसा, राजस्थान

3.प्रमा पत्नी अशोक (पुत्री स्वर्गीय छगनलाल) आयु लगभग 45 साल, जाति– भंगी, निवासी खदाना मौहल्ला, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान

4.जीतू पुत्र स्वर्गीय पाचूराम आयु लगभग 35 साल, जाति भंगी, निवासी बीजवाड़,तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

5.मंगद पत्नी स्वर्गीय पाचूराम आयु लगभग 59 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़ तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

6.खिल्लू पुत्र स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 40 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

7.अमर सिंह पुत्र स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 42 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

8.लिछमी पत्नी रविकान्त (पुत्री स्वर्गीय रतनलाल) आयु लगभग 25 साल, जाति– भंगी, निवासी खुदनपुरी, तहसील अलवर, जिला अलवर, राजस्थान

9.ऊगन्ती पत्नी स्वर्गीय रतनलाल आयु लगभग 60 साल, जाति– भंगी, निवासी बीजवाड़, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

10.श्रीमान तहसीलदार (भूमिधारी), तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

11.श्रीमान उप पंजीयक, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान।

12.श्रीमान शाखा प्रबन्धक, राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पृथ्वीपुरा, तहसील मालाखेड़ा, जिला–अलवर, राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा ईस्तकरारहक मय तकासमा मय हुक्म ईम्तनाईदवामी अन्तर्गत धारा 53, 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)

—:अन्तिम पर्चा डिक्री:—

तारीख:— 29.08.2024

दावा वकील वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया। वकील वादी ने वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजी हाल खसरा नंबर 2386 रकबा 0.0100 है0, किस्म गै0मु0 चाह, खसरा नंबर 2387 रकबा 0.4600 है0 किस्म बारानी –प्रथम, खसरा नंबर 2388 रकबा 0.3800 है0 किस्म बारानी–प्रथम, कुल किता 3 कुल रकबा 0.8500 है0, वाके ग्राम बीजवाड तहसील मालाखेडा का बाई मिट्स एंड बाउन्ड्स तकासमा कराने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण के अनुपस्थित रहने पर वाद दिनांक 08.08.2024 को प्रारम्भिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार मालाखेडा से कुरेजात भिजवाने हेतु न्यायालय के पत्रांक 1040 दिनांक 8.8.2024 से लिखा गया । तहसीलदार मालाखेडा के पत्रांक भू.अ.-डिक्री/2024/1085 दिनांक 27.08.2024 से कुरेजात तैयार कर भिजवाये गये। वकील वादी ने वाद मुताबिक कुरेजात अन्तिम डिक्री किये जाने का कथन किया । अतः वाद वादी मुताबिक कुरेजात निम्न प्रकार अन्तिम डिक्री किया जाता है।

क्र0 सं0	नाम खातेदार मय वल्दियत	खसरा नंबर	ग्राम	रकबा है0 में	किस्म	लगान
01	सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति चलाई निवासी ए–139, मालवीय नगर, तहसील सांगानेर जिला जयपुर खातेदार	2388/1 2387/1	बीजवाड	0.0982 0.0137	बारानी–1 बारानी–1	0.7856 0.1096
02	गिर्राज प्रसाद पुत्र बनवारीलाल, जाति बैरवा निवासी सारंगपुरा तहसील मालाखेडा खातेदार	2388/2 2387/2	बीजवाड	0.2618 0.0363	बारानी–1 बारानी–1	2.0944 0.2904
03	1. रामोतार पुत्र स्व0 छगनलाल हि0 1/9 जाति भंगी निवासी बीजवाड रहिन हिस्सा 1/9 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा। 2. गीता पत्नी फूल (पुत्री स्व0 छगनलाल) हिस्सा 1/9 जाति भंगी, निवासी बसवा,खातेदार रहिन हिस्सा 1/9 राजस्था ग्रामीण बैंक, शाखा पृथ्वीपुरा। 3. प्रेम पत्नी अशोक(पुत्री स्व0 छगनलाल) हि0 1/9, जाति भंगी निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास, सूर्य नगर तहसील अलवर खातेदार, रहिन, राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा 4. जीतू पुत्र स्व0 पाचूराम हिस्सा 1/6 जाति भंगी निवासी बीजवाड खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा। 5. मगन देवी पत्नी स्व0पाचूराम आयु हिस्सा 1/6 जाति भंगी निवासी बीजवाड खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा 6. खिल्लू पुत्र स्व0रतनलाल हिस्सा 1/12 जाति भंगी निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा। 7. अमरसिंह पुत्र स्व0 रतनलाल हि0 1/12 जाति भंगी निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा 8. लक्ष्मी पत्नी रविकान्त (पुत्री स्व0 रतनलाल) हिस्सा 1/12 जाति भंगी निवासी विश्वकर्मा कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास सूर्यनगर तहसील अलवर, खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा। 9. उगन्ती पत्नी स्व0रतनलाल हिस्सा 1/12, जाति भंगी, निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा।	2387/3	बीजवाड	0.4100	बारानी–1	3.28
4.	01. सुरेन्द्र प्रसाद पुत्र हनुमान प्रसाद जाति चलाई निवासी ए–139, मालवीय नगर, त[illegible]	2386	बीजवाड	0.0100	गै0मु0चाह	—

ण्ड अधिकारी
लाखेड़ा (अलवर)

	सांगानेर जिला जयपुर खातेदार हि0 1/2 02. गिर्राज प्रसाद पुत्र बनवारीलाल, जाति [illegible] निवारी सांरगपुरा तहसील [illegible] खातेदार हि0 4/11 03. रामोतार पुत्र स्व0 छगनलाल हि0 1/9 जाति भंगी निवारी बीजवाड रहिन हिस्सा 1/18 राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा। 04. गीता पत्नी फूल (पुत्री स्व0 छगनलाल) हिस्सा 1/18 जाति भंगी, [illegible] बसवा,खातेदार रहिन हिस्सा 1/9 राजस्थान ग्रामीण बैंक, शाखा पृथ्वीपुरा। 05. प्रेम पत्नी अशोक(पुत्री स्व0 छगनलाल) हि0 1/18, जाति भंगी निवासी [illegible] कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास, सूर्य नगर तहसील अलवर खातेदार, रहिन, राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा 06. जीतू पुत्र स्व0 पाचूराम हिरसा 1/12 जाति भंगी निवारी बीजवाड खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा। 07. मगन देवी पत्नी स्व0पाचूराम [illegible] 1/12 जाति भंगी निवारी बीजवाड खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा। 08. खिल्लू पुत्र स्व0रतनलाल हिस्सा 1/24 जाति भंगी निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा। 09. अमरसिंह पुत्र स्व0 रतनलाल हि0 1/24 जाति भंगी निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक पृथ्वीपुरा 10. लक्ष्मी पत्नी रविकान्त (पुत्री स्व0 रतनलाल) हिस्सा 1/24 जाति भंगी निवासी [illegible] कॉलोनी, जैन मन्दिर के पास सूर्य नगर तहसील अलवर, खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा। 11. उगन्ती पत्नी स्व0रतनलाल हिस्सा 1/24 जाति भंगी, निवासी बीजवाड, तहसील मालाखेडा खातेदार रहिन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पृथ्वीपुरा।					

उपरोक्तानुसार पक्षकार 1 लगा. 11 विवादित आराजी खसरा नंबर 2386 रकबा 0.0100 किस्म गै0मु0चाह शामलाती खातेदारी में रखा गया है। उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

(देवी सिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29.08.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराई जाकर जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेडा

5/11/2024

पत्रावली में पारित अन्तिम डिक्री दिनांक 29/8/2024 में सहवन से हिस्सा सम्बन्धी कुछ त्रुटि हो गई है जिसे धारा 152 सिविल प्रक्रिया संहिता के तहत दुरूस्त किया जाता है।

अतः अन्तिम डिक्री दिनांक 29/8/2024 में वर्णित तालिका के क्रम संख्या 3 के खातेदार रामोतार पुत्र स्व. छगनलाल हिस्सा 1/9 के स्थान पर 1/18 पढ़ा जावे एवं क्र.सं. 4 पर गीता पत्नि फूल (पुत्री स्व. छगनलाल) हिस्सा 1/18 जाति भंगी निवासी बसवा खातेदार रहित हिस्सा 1/9 के स्थान पर गीता पत्नि फूल (पुत्री स्व. छगनलाल) हिस्सा 1/18 जाति भंगी निवासी बसवा खातेदार रहित हिस्सा 1/18 पढ़ा जावे इसी प्रकार दुरूस्त किया जाता है। समस्त प्रतिवादीगण का पूर्ण हिस्सा रहित है। अतः संबंधित बैंक के खाते में तदानुसार पूर्ण हिस्से का रहित का अंकन रिकार्ड में किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
मालाखेड़ा (अलवर)